न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/5782/2004/बारां

1. श्रीमती अनुसूईया विधवा पत्नि शिवचरण लाल शर्मा जाति ब्राहमण
2. श्रीमती पूर्णिमा शर्मा पुत्री शिवचरणलाल शर्मा जाति ब्राहमण
3. श्रीमती अरूणिमा शर्मा पुत्री शिवचरणलाल शर्मा जाति ब्राहमण
4. श्रीमती मधुरिमा शर्मा पुत्री शिवरचरणलाल शर्मा जाति ब्राहमण
5. श्रीमती नीलिमा शर्मा पुत्री शिवचरण लाल शर्मा जाति ब्राहमण
6. श्रीमती स्वर्णिमा देवी पुत्री शिवचरणलाल शर्मा जाति ब्राहमण
7. रामेश्वर प्रसाद पुत्र शिवचरणलाल शर्मा जाति ब्राहमण
8. विश्वेश्वर प्रसाद पुत्र शिवचरणलाल शर्मा जाति ब्राहमण
9. संदीप शर्मा पुत्र शुद्धोदन शर्मा जाति ब्राहमण
10. श्रीमती सुषमा शर्मा पुत्र शुद्धोदन शर्मा जाति ब्राहमण
11. श्रीमती शोभना शर्मा पुत्री शुद्धोदन शर्मा जाति ब्राहमण
12. श्रीमती सीमा शर्मा पुत्री शुद्धोदन शर्मा जाति ब्राहमण
13. श्रीमती सावित्री शर्मा विधवा पत्नि शुद्धोदन शर्मा जाति ब्राहमण
14. डा. नरेशचन्द्र पुत्र रामदेव जाति ब्राहमण

–समस्त निवासीगण ग्राम दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां

.....अपीलांट्स/वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार।

.....रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादी

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अधिवक्ता, अपीलांट।
श्रीमती पूनम माथुर, अति. राजकीय अधिवक्ता, सरकार।

निर्णय

दिनांकः– 07–08–2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर कोटा द्वारा अपील सं. 18806/2001 में पारित किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 16–09–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर बारां के समक्ष अपीलान्ट्स/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 92–ए, 188 व 81 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ग्राम दीगोदपार स्थित वाद पत्र में उल्लेखित परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। वादीगण ने उक्त वाद पत्र के साथ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) बाबत वाद पेश करने की अनुमति हेतु भी संलग्न किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज ने अपना जवाबदावा पेश किया। राज्य सरकार ने अपने जवाबदावे में अंकित किया कि वाद में उल्लेखित चरण संख्या 1 लगायत 5 अस्वीकार है तथा चरण संख्या 6 व 7 वैधानिक है। कालान्तर में वाद पत्र व जवाबदावे तथा उपलब्ध रेकार्ड तथा गवाहान के बयानात के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 31–03–2001 पारित की। उक्त आदेश में यह विवेचित किया गया कि वादीगण का वाद आंशिक इस आशय के साथ स्वीकार किया जाता है कि जो पेड़ सिवायचक भूमि में स्थित है, उनकी नियमानुसार फसल नीलामी तहसीलदार किशनगंज प्रतिवर्ष करें एवं जो पेड़ वादीगण की खातेदारी काश्त की भूमि में स्थित है, उनका शांतिपूर्वक फसल उपभोग करने का वादीगण अधिकारी है। इसके अतिरिक्त यह भी आज्ञा जारी की कि जो पेड़ यदि वादीगण के पूर्वज जमीदार से भू–धारक की हैसियत से भूमि अन्य काश्तकारों के नाम अन्तरित हो गई हो, यदि कोई हो तो वादीगण उनसे नियमानुसार धारा 80 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार डिक्री जारी हो। विचारण न्यायालय द्वारा

पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2001 से असंतुष्ट होकर वादीगण/अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–09–2004 द्वारा खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2001 को यथावत रख दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16–09–2004 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील पेश की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स/वादीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को उपलब्ध रेकार्ड तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित होना कथित किया है, इस कारण पारित किए गए निर्णय त्रुटिपूर्ण है। आगे बताया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि मामले में विचारण न्यायालय ने उनके समक्ष विवादित आराजियात के क्रम में वाद में बिना विवाद्यक किए वाद को निर्णित कर दिया, जबकि न्यायालय को दावे व जवाबदावे के आधार पर विवाद्यक कायम कर शहादत लेकर निर्णय करना चाहिए था। विचारण न्यायालय को प्लीडिंग्स के आधार पर विवाद्यक कायम किए जाने चाहिए थे, जो उनके द्वारा नहीं किए जाने के कारण उनकी कार्यवाही दोषपूर्ण है। उन्होंने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अस्पष्ट तथा अकारण होना कथित किया है। उनका तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जो पेड़ काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व ही वादीगण के पूर्वजों द्वारा लगाये गये थे तथा आज तक वादीगण ही उक्त पेड़ो का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है तथा धारा 133 कोटा सरक्यूलर संख्या 3 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व से ही उक्त पेड़ों का मालिक हो गया था। यहीं नहीं वादीगण द्वारा हस्तगत वाद प्रस्तुतीकरण में 40 वर्ष का समय व्यतीत होने के कारण वादीगण द्वारा इन पेड़ो पर मालिकाना हक होना मानकर

तथा राज्य सरकार की जानकारी में ही उपयोग व उपभोग किया है। उनका तर्क है कि मामले में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादीगण इन पेड़ो के मालिक हो गए है एवं राज्य सरकार को इन पेड़ों से वादीगण को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किया जाकर हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एवं उपजिला कलक्टर बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण के विरूद्ध मय खर्चा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत विद्वान अति. राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि वादी द्वारा पेड़ जिस कृषि भूमि में खडे होना कथित किया गया है, उसका विवरण वादीगण ने परिशिष्ठ ''अ'' में अंकित होना बताया है, लेकिन वादीगण ने वाद पत्र के साथ उक्त परिशिष्ठ ''अ'' संलग्न नहीं किया गया, इस कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जो 88 आम के पेड जिस कृषि भूमि में स्थित है, उसके खातेदार काश्तकार वादीगण है अथवा नहीं। आगे बताया कि वादी ने अपना वाद कोटा रियासत माल के परिपत्र संख्या 3 को आधारित करके पेश किया है, उक्त प्रावधान की धारा 133 के अनुसार पड़त आराजियात में फलदार और सायादार वृक्ष को उनके लगाने वालों और उनके जायज कायममुकामों का हक मिल्कियत मानी जायेगी। उक्त धारा के परीक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि यह आराजियात न तो पड़त होना साबित होता है एवं कोटा रियासत माल के परिपत्र संख्या 3 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद प्रभावी नहीं रहा। उनका तर्क है कि वर्तमान में प्रचलित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 81, 92–ए व 188 की भावना यह है कि यदि कोई पेड़ किसी काश्तकार की भूमि में स्थित है तो उसके काश्तकार उन पेडो का शान्तिपूर्वक उपभोग करने का कानूनी अधिकारी है। परन्तु यदि कोई पेड़ सिवायचक भूमि में स्थित है तथा चाहे वह पेड़ पूर्व के किसी जमीदार द्वारा ही क्यों न लगाये गये हो, फसल

उपयोग का अधिकार उसे प्राप्त नहीं होगा। उनका यह तर्क है कि ऐसे पेड़ो की नियमानुसार नीलामी करने की अधिकारिता संबंधित तहसीलदार को ही प्राप्त है। उनका आगे तर्क है कि धारा 80 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार यदि किसी भू–धारक (पूर्व जमीदार) की भूमि किसी काश्तकार के नाम अंकित हो चुकी है तो वह भू–धारक उन पेड़ो का मुआवजे के बाबत संबंधित तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर संबंधित काश्तकार से वसूल करवा कर प्राप्त कर सकता है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में हस्तगत मामले में दोंनो अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंनें अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को अपास्त कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन, अवलोकन एवं मूल्यांकन किया है।

7. विचाराधीन प्रकरण में निर्णायक बिन्दु यह है कि क्या वादीगण रेकार्ड में दर्ज सिवायचक भूमि में लगे हुए पेडों के उपयोग व उपभोग का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं ?

– प्रकरण का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण करने पर स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां के समक्ष अपीलान्ट्स/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 92–ए, 188 व 81 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ग्राम दीगोदपार स्थित वाद पत्र में उल्लेखित परिशिष्ठ ‘‘ब’’ के अनुसार प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। वादीगण ने उक्त वाद पत्र के साथ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) बाबत वाद पेश करने की अनुमति हेतु भी संलग्न किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज ने अपना जवाबदावा पेश किया। राज्य सरकार ने अपने जवाबदावे में अंकित किया कि वाद में उल्लेखित चरण संख्या 1 लगायत 5 अस्वीकार है तथा चरण संख्या 6 व

7 वैधानिक है। कालान्तर में वाद पत्र व जवाबदावे तथा उपलब्ध रेकार्ड तथा गवाहान के बयानात के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 31–03–2001 पारित की। उक्त आदेश में यह विवेचित किया गया कि वादीगण का वाद आंशिक इस आशय के साथ स्वीकार किया जाता है कि जो पेड सिवायचक भूमि में स्थित है, उनकी नियमानुसार फसल नीलामी तहसीलदार किशनगंज प्रतिवर्ष करें एवं जो पेड वादीगण की खातेदारी काश्त की भूमि में स्थित है, उनकी शांतिपूर्वक फसल उपभोग करने का वादीगण अधिकारी है। इसके अतिरिक्त यह भी आज्ञा जारी की कि जो पेड यदि वादीगण के पूर्वज जमीदार से भू धारक की हैसियत से भूमि अन्य काश्तकारों के नाम अन्तरित हो गई हो, यदि कोई हो तो वादीगण नियमानुसार धारा 80 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है, तदनुसार डिक्री जारी की गई। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2001 के विरूद्ध वादीगण/अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–09–2004 द्वारा खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2001 को यथावत रख दिया। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार वादीगण ने अपने अपने वाद के माध्यम से आलोच्य पेड़ों को जिस कृषि भूमि में खडे होना कथित किया गया है, उसका विवरण वादीगण ने परिशिष्ठ ''अ'' में अंकित होना बताया है, लेकिन वाद पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि वाद पत्र के साथ उक्त परिशिष्ठ ''अ'' संलग्न नहीं किया गया, इस कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जो 88 आम के पेड़ जिस कृषि भूमि में स्थित है, उसके खातेदार काश्तकार वादीगण है अथवा नहीं। वादीगण ने अपना वाद कोटा रियासत माल के परिपत्र संख्या 3 को आधारित करके पेश किया है। उक्त विधिक प्रावधान की भावना के अनुसार धारा 133 में की गयी व्याख्या के अनुसार पड़त आराजियात में फलदार और सायादार वृक्ष लगे होने पर उनके लगाने वालों और उनके जायज कायममुकामों का हक व मिल्कियत मानी जायेगी। उक्त धारा के परीक्षण उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि यह आराजियात पड़त होना साबित

नहीं होती है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि कोटा रियासत माल के परिपत्र संख्या 3 के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के बाद प्रभावी नहीं रहे तथा उक्त प्रावधानानुसार वादीगण द्वारा अपने वाद के माध्यम से जो अनुतोष चाहा गया है, उसे वह प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वर्तमान में प्रचलित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 81, 92–ए व 188 की भावना यह है कि यदि कोई पेड़ किसी काश्तकारी की भूमि में स्थित है तो उसके काश्तकार उन पेड़ो का शान्तिपूर्वक उपभोग करने का कानूनी अधिकारी है। परन्तु यदि कोई पेड़ सिवायचक भूमि में स्थित है तथा चाहे वह पेड़ पूर्व के किसी जमीदार द्वारा ही क्यों न लगाये गये हो, ऐसे पेड़ों का उपयोग व उपभोग का अधिकार उसे प्राप्त नहीं होगा तथा ऐसे पेड़ो की नियमानुसार नीलामी करने की अधिकारिता संबंधित तहसीलदार को ही प्राप्त है।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 80 में प्रावधित प्रावधानानुसार यदि किसी भू–धारक (पूर्व जमींदार) की भूमि किसी काश्तकार के नाम अंकित हो चुकी है तो वह भू–धारक उन पेडो का मुआवजे के बाबत संबंधित तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर संबंधित काश्तकार से वसूल करवा कर प्राप्त कर सकता है। प्रकरण का विधि के दृष्टिकोण से समग्र विश्लेषण करने पर हम पाते है कि वादीगण ने असंगत आधारों को अपने वाद पत्र में अभिवचित कर जो अनुतोष चाहा है, वह उन्हें नियमानुसार देय नहीं है। सारांशतः मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होना प्रकट होती है।

9. उक्त विधि सम्मत रूप से पारित किए गए विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष को बहाल रखा है। प्रकट यह होता है कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत निष्कर्ष है। हमारे समक्ष भी अपीलार्थीगण ने नवीन तथ्यों को प्रकट नहीं किया है, जिनके आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्षो में इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार

का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हमारी विनम्र राय में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन होना प्रकट होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य पायी जाती है।

10. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–09–2004 तथा उपजिला कलक्टर बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2001 को बहाल रखा जाता है।

11. प्रकरण उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य